29—06—2024

परिवादी द्वारा श्री अरविंद त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण, आज परिवाद पर आदेश हेतु नियत है।

परिवादी सिड रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड, एक फर्म है, जिसमें सैफ्रान वैली नामक रहवासी कॉलोनी का ग्राम मेंदुआ चिकलोद रायसेन में निर्माण किया है, जिसके प्रोपराइटर सुभाषीश चकवर्ती है, जिन्होंने अपने जनरल मैनेजर हेमकृष्ण को उक्त फर्म की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है, जिससे उनके द्वारा यह परिवाद—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संक्षेप में यह है कि उक्त फर्म द्वारा निर्मित सैफ्रान वैली कॉलोनी में प्रस्तावित अभियुक्तगण ने रजिस्टर्ड विकय—पत्र के माध्यम से भूखंड कय कर भवन निर्माण का कार्य किया है और उन्होंने, माह अगस्त 2022 में अपने—अपने घरों की छत पर " इस कॉलोनी में पानी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।" के बैनर/पोस्टर लगाकर उनकी छवि धूमिल की है, जबकि कॉलोनी में बिजली एवं पानी की सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध है, जिसके संबंध में रेरा का प्रदत्त प्रमाण—पत्र, कॉलोनी में बिजली होने की तस्वीरे परिवाद के साथ पेश कर कॉलोनी में बिजली की व्यवस्था रखने को दर्शाया है। साथ ही प्रस्तावित अभियुक्तगण के लगाए बैनरो को भी फोटो प्रस्तुत कर असत्य कथन प्रकाशित करने से उनकी मानहानि करना बताया है तथा पानी सप्लाई भी सभी जगह देना कहते हुए प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा अपनी बकाया राशि के

29-6-24
(अतुल [illegible])
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम [illegible]

भुगतान से बचने के लिए असत्य बैनर/पोस्टर लगाकर उनकी ख्याति को नुकसान कर उनकी मानहानि किए जाने से उनके विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा--500 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध करने की प्रार्थना की है, जिसके संबंध में प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा कय भूखंडों की रजिस्ट्री की कापी, अधिकार--पत्र, प्रेषित नोटिस की फोटो आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी फर्म की ओर से अधिकृत मैनेजर हेमकृष्ण ने अपने कथन में परिवाद अनुसार उनकी निर्माणाधीन कॉलोनी सैफ्रान वैली में बिजली एवं पानी की मूलभूत सुविधाएं दी जाना कहते हुए कॉलोनी में बिजली होने के फोटो प्रकरण में प्रस्तुत कर पानी की घरों में निरंतर सप्लाई की जाना भी कहा है, जिससे प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा असत्य बैनर लगाकर उनकी कम्पनी की बदनामी की है।

परिवादी की ओर से खिंचे गए चित्र को कागज पर प्रिंटेंट रूप में पेश किए हैं, जिनमें उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज सूची अनुसार उनमें की गई नम्बरिंग अनुसार पेज कमांक--64 में दर्शित फोटो में " आवश्यक सूचना इस कॉलोनी में बिजली--पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है।" का बैनर घर की छत की साइड दीवार पर दिख रहा है, किन्तु यह घर किसका है, इस फोटो से स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिस पर परिवादी द्वारा लिखकर प्रस्तावित अभियुक्त कमांक--1 रवि महेश्वरी का घर होना उल्लेखित है। पेज कमांक--65 की फोटो पर भी उक्त अनुसार बैनर लगा होकर दिख रहे घर की प्लेट में नीलम--वैदप्रकाश सक्सेना दर्शित है और पेज कमांक--66 में भी उक्त बैनर अनुसार घर की छत की साइड में लगा होना दर्शित है, जिसमें वह, घर किसका है, यह स्पष्ट नहीं होकर परिवादी द्वारा उसमें प्रस्तावित अभियुक्त कमांक--3 दुर्गाप्रसाद मालवीय का घर होना लिखा है। पेज कमांक--67 में तीन लोग उक्त अनुसार बैनर लिए खड़े है, किन्तु उनको प्रस्तावित अभियुक्तगण होने का अभिवचन एवं कथन नहीं है। पेज कमांक--58 से 63 तक की फोटो में स्ट्रीट लाइट जली होने को दर्शाया गया है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा पेज कमांक--64 से 66 में दर्शित बैनर अनुसार प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा असत्य बैनर को प्रकाशित करना बताया है, जो कि पेज कमांक--58 से 63 तक की रात्रि फोटो में स्ट्रीट लाइट जली होने के आधार पर बिजली की व्यवस्था कॉलोनी में होने से प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा लगाये बैनरो को मिथ्या होना दर्शाया है, किन्तु परिवादी ने अपने परिवाद अनुसार

29-6-24

(अतुल [illegible])
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

Order Sheet [Contd]

(अतुल ...)
न्यायिक ... श्रेणी
... (म०प्र०)

CaseNo. 152 of 2022

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से कॉलोनी में विद्युत प्राप्त करने का अभिवचन किया है, किन्तु विद्युत कनेक्शन होने संबंधित कोई भी दस्तावेज उस अवधि या उससे पूर्व की अवधि से निरंतर बिजली कनेक्शन होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जो कॉलोनी में बिजली रहने की निर्विवादित परिस्थिति को दर्शाता। क्योंकि मात्र लाइट जलने से उसका बिजली कनेक्शन कॉलोनी में निरंतर प्रदत्त रहने को नहीं दर्शाता है, जो जनरेटर आदि से भी बिजली कुछ समय के लिए जलाई जा सकती है, तब उसकी फोटो मात्र लेकर बिजली का निरंतर् सप्लाई कॉलोनी में रहने को निर्विवादित रूप से प्रमाणित नहीं करता है। साथ ही ऐसे भी फोटो प्रस्तुत नहीं है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण के घर की स्ट्रीट लाइट जली होकर उनके लगाए बैनर असत्य होना दर्शाती है, जबकि पेज क्रमांक–67 की फोटो में जो लोग बैनर लेकर खड़े है, उनके पीछे की ओर गई स्ट्रीट में कोई लाइट लगी होना एवं जलती हुई होना दृष्टिगत भी नहीं है। परिवादी की ओर से कॉलोनी में पानी सप्लाई संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं और न ही इस हेतु कोई अभिवचन अपने परिवाद में या कथन में बताया है कि कॉलोनी में पानी की सप्लाई किस माध्यम से की जाती है अर्थात् बोरिंग, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/परिषद, नगरपालिका आदि से सप्लाई प्रदान किए जाने के कथन या अभिवचन नहीं किए है, न ही दस्तावेज प्रस्तुत किए है और न ही कॉलोनी में पानी सप्लाई करने की टंकी होने की परिस्थिति बताई है। इस प्रकार कॉलोनी में निर्विवादित रूप से बिजली एवं पानी सप्लाई का अपराध माह अगस्त 2022 में परिवादी द्वारा प्रदाय करने को स्थापित नहीं किया है, तब प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा लगाए बैनर, जिनमें उल्लेखित है कि " आवश्यक सूचना इस कॉलोनी में बिजली–पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है।" यह अन्य लोगों के लिए Caution/सावधानी के रूप में होने को प्रकट करती है, जो सत्य कथन के आलोक में मानहानि के अपवाद में आती है, क्योंकि परिवादी स्वयं	

29-6-24
(अतुल ...)
न्यायिक ... श्रेणी
... (म०प्र०)

BEFORE THE

के द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा लगाए बैनरों में उल्लेखित बात को घटना अवधि में असत्य होना निर्विवादित रूप से स्थापित नहीं किया गया है, तब प्रस्तावित अभियुक्तगण का बैनर मात्र Caution सावधानी की सीमा तक प्रकट होता है। साथ ही परिवादी द्वारा अपने परिवाद में प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा उन्हें अपने देय शुल्क की अदायगी नहीं करने हेतु उक्त आशय के असत्य बैनर लगाने का आधार लिया गया है, किन्तु प्रस्तावित अभियुक्तगण के कोई अवशेष राशि देय होने को भी प्रमाणित नहीं किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में परिवादी ने अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजों से प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगी द्वारा के तहत अपराध किए जाने के तथ्य को निर्विवादित रूप से स्थापित नहीं किया है, जिससे उनके विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी एवं सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाकर, प्रकरण का अभिलेख नियत समयावधि में नियमानुसार, अभिलेखागार संचित किया जावें।

29-6-24

(अतुल बिल्लौरे)
न्यायिक मजिस्ट्रे प्रथम श्रेणी, गौहरगंज,
जिला–रायसेन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner